



JEEVIKA

An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation

**Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar**



बिहार सरकार
www.brlp.in

1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960, Website:www.brlp.in


Ref: Estt/103/06/II/598

Date: 04.06.2015

OFFICE ORDER

Approval of the competent authority is hereby conveyed to all concerned in respect of payment of increased DA from 107% to 113% with effect from 01.01.2015 to the officers of Government of Bihar working with BRLPS on deputation.

Increased DA would be payable to them as per Resolution of Finance Department of GoB issued on 25.05.15. Scan copy of the GoB order is attached for reference.


(Arun Kumar Sah)
4/6/15
State Project Manager-HRD

Copy for Information to:

1. Director, OSD, CFO, AO, FO, & SFMs
2. All PCs, SPMs, PMs & PS
3. All DPMs, DPM In Charge, Manager-HR & FMs
4. IT Section
5. Concerned files

बिहार सरकार
वित्त विभाग
संकल्प

SPM(HRD)
1.6.15

पटना, दिनांक:-25/05/2015

विषय:-राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक-01/01/2015 के प्रभाव से 107 प्रतिशत के स्थान पर 113 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-9555, दिनांक- 17/10/2014 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक-01/07/2014 के प्रभाव से 107 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं०-1/2/2015-ई-II (बी) दिनांक-10/04/2015 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक-01/01/2015 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता की दर को 107 प्रतिशत से बढ़ाकर 113 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि-

- (i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक- 01/01/2015 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 107 प्रतिशत के स्थान पर 113 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।
- (ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग पर मंहगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा ।
- (iii) मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।
- (iv) उपर्युक्त मंहगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।
- (v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जायेगा ।

4. इस बड़ी हुई दर से मंहगाई भत्ता दिनांक-01/01/2015 से भुगतये है और इसका भुगतान जून, 2015 के वेतन में जोड़कर होगा, परंतु उसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह जुलाई, 2015 में किया जायेगा ।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी ।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

झापांक:-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-4725-वि0 पटना, दिनांक:-25/05/2015

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

झापांक:-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-4725-वि0 पटना, दिनांक:-25/05/2015

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

झापांक:-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-4725-वि० पटना, दिनांक:-25/05/2015

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाये ।

४०/-

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।

झापांक:-3ए-3-वे०पु० (भत्ता)-08/2013-4725-वि० पटना, दिनांक:-25/05/2015

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/5

(दया निधान पाण्डेय)

अपर सचिव, वित्त विभाग ।